¹[Rule 25 : Physical verification of business premises in certain cases

Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication ²[or due to not opting for Aadhaar authentication] before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification].

Rule 25 substituted by Noti. No. 16/2020–Central Tax, dt. 23-03-2020 w.e.f. 23-03-2020. Earlier to substitution it read as under:

[&]quot;Rule 25: Physical verification of business premises in certain cases

Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a registered person is required after the grant of registration, he may get such verification done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification."

² Inserted by Noti. No. 62/2020–Central Tax, dt. 20-08-2020 w.e.f. 21-08-2020.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 25 : कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन

जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन मे असफल होने के कारण ²[या आधार के अभिप्रमाणन के विकल्प का चयन न किये जाने के कारण] अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति, में कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी—30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 16/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2020 द्वारा नियम 25 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.03.2020)।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

[&]quot;नियम 25 : कतिपय मामलों में कारबार परिसर का भौतिक सत्यापन

जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, वह ऐसा सत्यापन कर सकेगा और सत्यापन रिपोर्ट अन्य दस्तावेजों जिसके अन्तर्गत फोटो भी है, के साथ प्ररूप जीएसटी आरईजी—30 में सामान्य पोर्टल पर ऐसे सत्यापन की तारीख से अगले पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर अपलोड की जाएगी।"

² अधिसूचना क्रमांक 62/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 21.08.2020)।